संख्या- 41 /2026/1150 /सत्रह-म-2026-17-1099/78/2026

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
मत्स्य विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2026

विषय:- उत्तर प्रदेश में विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी की स्थापना योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 135.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-399/नि0शा0/2026-27 दिनांक 30.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक -2405-मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 06- विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी की सथापना, 20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश में विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी की सथापना योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 135.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 135.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी की स्थापना योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2405-मछली पालन, 101- अनतर्देशीय मछली पालन, 06-विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी की स्थापना, 20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत धनराशि रू0 45.00 लाख (रू0 पैंतालीस लाख मात्र) की धनराशि को आहरित कर वयय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जा नी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लीं जाये।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया

जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

(5) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व महानिदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(6) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च 2026 तथा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 45.00 लाख (रुपये पैंतालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2405-मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 06-विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी की स्थापना, 20-सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-1-94-X-2026-27-दिनांक:23-7-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
SUNIL KUMAR VERMA
Date: 28-07-2026
10:15:24

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या- 41 /2026/ 1150(1)/सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुखय कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त्त (वयय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त्त (आय-वययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव।